REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264545 CG-DL-E-11072025-264545

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] No. 422]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 465(अ).— जबकि देश में कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानक केन्द्र सरकार अधिसूचना सं. का.आ. 3305(अ) दिनांक 7 दिसंबर 2015 के तहत प्रकाशित किए गए थे, जिनमें कुछ समय-सीमाएं भी निर्धारित की गई थीं, जिन्हें बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया था;

और जबकि प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव, अधिक मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की कम सांद्रता और बिजली की कीमतों में वृद्धि के कारण उपभोक्ता पर भारी बोझ आदि के कारण इन उत्सर्जन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और इस संबंध में विद्युत मंत्रालय की स्पष्ट सिफारिश प्राप्त हुई थी;

और जबकि अनुसंधान संस्थानों द्वारा इन मानकों के पीछे की प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इसकी भूमिका के संबंध में कई अध्ययन किए गए थे;

और इन उत्सर्जन मानकों और इसकी समय-सीमा के संबंध में उद्योग, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वैज्ञानिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ कई हितधारक परामर्श किए गए थे;

4624 GI/2025

और जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इस मुद्दे की समग्र जांच करने, उपलब्ध अध्ययन रिपोर्टों, अन्य प्रासंगिक सामग्रियों और अन्य संबंधित कारकों का आकलन करने और इन मानकों और इसकी समय-सीमा की प्रयोज्यता पर सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विस्तृत विश्लेषण के बाद, देश के अधिकांश क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों; जल, सहायक बिजली और चूना पत्थर की अतिरिक्त खपत से बचने के लिए संसाधन संरक्षण; नियोजित किए जाने वाले नियंत्रण उपायों के लागू होने के कारण वातावरण में कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि, और इन नियंत्रण उपायों के लिए अपेक्षित चूना पत्थर का खनन और परिवहन; सभी कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र में ऐसे नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता; और घनी आबादी वाले क्षेत्रों और अन्य वायु प्रदूषण संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एहतियाती सिद्धांत को लागू करने के संबंध में अपने अध्ययन के आधार अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है;

अब, इसलिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) चतुर्थ संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसूची-l में क्रम संख्या 25 में, "* (i) से शुरू होने वाली प्रविष्टियों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा" और "** से समाप्त होने वाली सभी टीपीपी (इकाइयां) शामिल हैं जिन्हें पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है और निर्माणाधीन हैं" के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए उक्त तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट उनकी अवस्थिति के आधार पर नीचे दी गई तालिका-I के कॉलम (2) में निर्दिष्ट तीन ताप विद्युत संयंत्रों की श्रेणी में वर्गीकृत करेगा : -

| क्र.सं. | वर्ग | अवस्थिति/क्षेत्र |
|---------|----------|--|
| | | |
| | | |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | श्रेणी क | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में या मिलियन से अधिक |
| | | आबादी वाले शहरों में ¹ । |
| 2 | श्रेणी ख | गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों ² अथवा अनुपालन न करने वाले क्षेत्र² के 10 किमी |
| | | के दायरे के भीतरे |
| 3 | श्रेणी ग | श्रेणी क और ख में शामिल संयंत्रों के अलावा |

तालिका I

¹भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार।

2जैसा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित किया गया है।

(ख) (i) सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अलावा अन्य मापदंडों के लिए उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता समय-सीमा निम्नानुसार होगी:

| क्र.सं. | वर्ग | अनुपालन के लिए समयसीमा (बंद न की जाने वाली इकाइयाँ) | अनुपालन से छूट के लिए इकाइयों को बंद करने की अंतिम तिथि |
|---------|----------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्रेणी क | 31 दिसंबर 2022 तक | 31 दिसंबर 2022 तक |
| 2 | श्रेणी ख | 31 दिसंबर 2023 तक | 31 दिसंबर 2025 तक |
| 3 | श्रेणी ग | 31 दिसंबर 2024 तक | 31 दिसंबर 2025 तक |

तालिका-II

(ii) तालिका-II के कालम (4) में निर्दिष्ट तिथि से पहले बंद घोषित किए गए ताप विद्युत संयंत्र को सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के अलावा अन्य मापदंडों के लिए निर्दिष्ट मानकों को पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसे संयंत्र बंद होने के आधार पर छूट के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं:

बशर्ते कि ऐसे संयंत्रों का संचालन वचनबद्धता में निर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है तथा यदि थर्मल पावर प्लांट/यूनिट निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उनसे तालिका-II के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट तारीखों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी;

- (ग) ताप विद्युत संयंत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता निम्नानुसार होगी:
 - (i) 31 दिसंबर 2030 से पहले बंद होने की घोषणा करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए निर्दिष्ट मानकों को पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसे संयंत्र बंद होने के आधार पर छूट के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं:

बशर्ते कि इन संयंत्रों पर 31 दिसंबर 2030 से उत्पादित विद्युत पर 0.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, यदि उनका प्रचालन निर्दिष्ट मानकों को पूरा किए बिना उपक्रम में निर्दिष्ट तिथि के बाद भी जारी रहता है;

- (ii) मौजूदा श्रेणी 'क' के ताप विद्युत संयंत्र 31 दिसम्बर, 2027 तक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करेंगे। चालू होने वाले श्रेणी 'क' ताप विद्युत संयंत्रों को भी 31 दिसम्बर, 2027 से पहले इन मानकों का अनुपालन करना होगा। और 31 दिसम्बर, 2027 के बाद चालू होने वाले श्रेणी 'क' के अन्य संयंत्र इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही प्रचालन करेंगे;
- (iii) वर्तमान अथवा शुरू किए जाने वाले श्रेणी 'ख' के सभी संयंत्रों/एककों के लिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत गठित थर्मल पावर परियोजनाओं के प्रभारी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर मामले दर मामले के अनुसार तय की जाएगी:
- (क) यदि पर्यावरणीय स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, तो ऐसे संयंत्र या एककों सल्फर डाइऑक्साइड मानकों की प्रयोज्यता की समीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित परियोजना प्रस्तावक इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर परिवेश पोर्टल पर इस समीक्षा के लिए आवेदन करें। यदि सल्फर डाइऑक्साइड मानकों को लागू माना जाता है, तो वे 31 दिसम्बर, 2028 से प्रभावी होंगे। अन्य सभी मामलों में, ताप विद्युत संयंत्र को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) 30 अगस्त, 1990 द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मानदंडों का 31 दिसम्बर, 2028 तक अनुपालन करना होगा;

- (ख) यदि शुरू किए जाने वाले संयंत्रों को पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी गई है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मानकों की प्रयोज्यता और उनके लागू होने की तिथि या अन्यथा, समय-समय पर संशोधित, जैसा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी प्रत्येक परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी में निर्दिष्ट अनुसार होगी और जिन मामलों में सल्फर डाइऑक्साइड मानक लागू नहीं किए गए हैं, वहाँ ताप विद्युत संयंत्रों को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) 30 अगस्त, 1990 द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मानदंडों का पालन करना होगा;
- (ग) सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए ये मानक उन सभी संयंत्रों/इकाइयों के संबंध में 31 दिसम्बर, 2028 से लागू होंगे, जिन्होंने उपरोक्त पैरा (i) में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समीक्षा का विकल्प नहीं चुना है;
 - (iv) सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानक श्रेणी ग के सभी ताप विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) 30 अगस्त, 1990 द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो। श्रेणी ग के मौजूद ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्टैक ऊँचाई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2029 है;
- (घ) केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सिफारिशों पर, आदेश द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानकों के अनुपालन से संबंधित समय-सीमा को बढ़ा दें।
- (ङ) तालिका-II के कॉलम (4) में निर्दिष्ट तिथि और पैरा (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट तिथि के बाद, बंद होने वाले और अनुपालन न करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों पर तालिका-III में निर्दिष्ट दरों के अनुसार पर्यावरण प्रतिपूर्ति लगाई जाएगी, अर्थात:-

तालिका-III

| समय-सीमा के बाद अनुपालन न करने वाले | पर्यावरण क्षतिपूर्ति |
|-------------------------------------|---|
| संयंत्रों का संचालन | (प्रति यूनिट उत्पादित बिजली के लिए रु.) |
| 0-180 दिन | 0.20 |
| 181-365 दिन | 0.30 |
| 366 दिन और उससे आगे | 0.40" |

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007- सीपीडब्ल्यू]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य नियमों को दिनांक 19 नवंबर, 1986 के आदेश संख्या 844(ई) के द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया और दिनांक 3 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-446(ई) के माध्यम से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

G.S.R. 465(E).— Whereas Sulphur dioxide emission standards were published by the Central Government *vide* SO 3305(E) dated the 7th December, 2015 for coal and lignite based thermal power plants in the country, also prescribing certain timelines, which were amended subsequently from time to time;

And whereas many representations were received regarding exemption or relaxation in timelines of these emission standards due to limited availability of technology providers, its techno-economic feasibility, negative impact of COVID19 pandemic on supply chain, price escalation due to high demand and low supplies, low Sulphur dioxide concentration in ambient air and heavy burden on consumer due to increase in electricity prices etc., and explicit recommendation of the Ministry of Power was received in this regard;

And whereas several studies were conducted by research institutions regarding effectiveness and rationale behind these standards and its role in overall ambient air pollution of the region;

And whereas several stakeholder consultations were done with Industry, Ministry of Power, Central Pollution Control Board, scientific institutions and other stakeholders regarding these emission standards and its timeline.;

And whereas a committee in the Central Pollution Control Board was constituted to examine the issue in totality, assess the available study reports, other relevant materials and other related factors and make a recommendation on applicability of these standards and its timeline;

And whereas the Central Pollution Control Board, after detailed analysis, has submitted its recommendation based on its study on National Ambient Air Quality Standards of Sulphur dioxide across most of the regions of the country; resource conservation in terms of avoiding additional consumption of water, auxiliary power, and limestone; increase in carbon footprint or Carbon dioxide emission into the atmosphere due to operation of control measures being deployed, and mining and transportation of limestone required for these control measures; the techno-economic feasibility of implementation of such control measures in all coal or lignite based Thermal Power Plants; and also applying the precautionary principle for control and abatement of air pollution in densely populated areas and other air pollution sensitive areas.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fourth Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule - I, in serial number 25, for the entries beginning with "* (i) A task force shall be constituted by Central Pollution Control Board (CPCB)" and ending with "**Includes all the TPPs (units) which have been accorded environmental clearance and are under construction" the following shall be substituted, namely:-

"(a) A task force shall be constituted by Central Pollution Control Board comprising of representative from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Power, Central Electricity Authority and the Central Pollution Control Board to categorise the thermal power plants in three categories as specified in column (2) of the Table-I below, on the basis of their location specified in column (3) of the said table, to comply with the emission standards:-

TABLE -I

| SI. No. | Category | Location/area |
|------------|------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Category A | Within 10 km radius of National Capital Region or cities having million plus population ¹ . |
| 2 | Category B | Within 10 km radius of Critically Polluted Areas ² or Non-attainment cities ² |
| 3 | Category C | Other than those included in category A and B |

¹ As per 2011 census of India.

² as defined by the Central Pollution Control Board.

(b) (i) The timelines for applicability of emission standards for parameters other than Sulphur dioxide emissions shall be as follows:-

| SI. No. | Category | Timelines for compliance (Non-retiring units) | Last date for retirement of units for exemption from compliance |
|------------|------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Category A | Upto 31 st December 2022 | Upto 31 st December 2022 |
| 2 | Category B | Upto 31 st December 2023 | Upto 31 st December 2025 |
| 3 | Category C | Upto 31 st December 2024 | Upto 31 st December 2025 |

TABLE-II

(ii) the thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (4) of Table-II shall not be required to meet the specified standards for parameters other than Sulphur dioxide emissions in case such plants submit an undertaking to Central Pollution Control Board and Central Electricity Authority for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the dates as specified in column (4) of Table –II, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking in case the Thermal Power Plant or Unit do not meet the specified standards.

- (c) The Applicability of emission standards for Sulphur dioxide in thermal power plants shall be as follows:
 - i. the thermal power plants declared to retire before 31st December, 2030 shall not be required to meet the specified standards for Sulphur dioxide emissions in case such plants submit an undertaking to Central Pollution Control Board and Central Electricity Authority for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation from the 31st December 2030, at the rate of rupees 0.40 per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the undertaking without meeting the specified standards;

- the existing Category A thermal power plants shall comply with the Sulphur dioxide emission standards by 31st December, 2027 and the Category A thermal power plants under commissioning shall also comply with the standards before 31st December, 2027. Other category A plants to be commissioned after 31st December, 2027 will operate only after ensuring compliance of these standards;
- iii. for all Category B Plants or Units, whether existing or upcoming, the applicability of Sulphur dioxide emission standards, shall be decided on a case to case basis by the Central Government based upon the

recommendations of the Expert Appraisal Committee in charge of Thermal Power Projects constituted under Environment Impact Assessment notification 2006 based on the appropriate scientific studies as per the following procedure:

- A. in case environmental clearance has already been granted, such plants or units may opt for review of the applicability of Sulphur dioxide standards provided that concerned project proponent applies for such review on the PARIVESH portal within six months of the date of issue of this notification, in case Sulphur dioxide standards are decided as applicable, the same shall be effective from 31st December, 2028 and in all other cases, the thermal power plant shall comply with the stack height criteria notified *vide* notification number GSR 742 (E) dated the 30th August, 1990 by 31st December, 2028;
- B. in cases of upcoming plants where EC has not been granted, the applicability of Sulphur dioxide standards and the date of its coming into force or otherwise will be as specified in environmental clearance granted to each such projects following the procedure as laid down in Environment Impact Assessment notification 2006 as amended from time to time and in cases, where the Sulphur dioxide standards are not made applicable, the thermal power plants shall comply with the stack height criteria notified *vide* notification number GSR 742 (E) dated the 30th August, 1990;
- C. these standards for Sulphur dioxide emissions shall be applicable with effect from the 31st December, 2028 in respect of all those plants or units which have not opted for review within the given timeframe as specified in para (i) above;
- iv. the Sulphur dioxide emission standards shall not be applicable to all Category C thermal power plants subject to ensuring compliance of stack height criteria notified *vide* notification number GSR 742 (E), dated the 30th August, 1990 and the time line for ensuring compliance by the existing Category C Thermal Power Plants of stack height criteria by the 31st December, 2029.
- (c) The Central Government may, on the recommendations of the Central Pollution Control Board, by an order grant extension of timelines to thermal power plants from compliance of Sulphur dioxide emission standards.
- (d) There shall be levied environment compensation on the non-retiring and non-compliant thermal power plants, after the date as specified in column (4) of Table-II and the date specified in paragraph (b), (c) & (d), as per the rates specified in Table-III.

| Non-Compliant operation beyond the Timeline | Environmental Compensation (Rs. per unit electricity generated) |
|---|---|
| 0-180 days | 0.20 |
| 181-365 days | 0.30 |
| 366 days and beyond | 0.40". |

TABLE -III

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O.844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* notification number G.S.R 446(E) dated the 3rd July, 2025.